संख्या-5/2018/1226/60-1-2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 04 जून, 2018

विषयः-**समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों के rationalization/merger किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं0-22-49/2015-सी.डब्ल्यू.-II, दिनांक 25.05.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 885.53 लाख की धनराशि कतिपय शर्तों के अधीन अवमुक्त की गयी है। भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 25-05-2018 के बिन्दु सख्या-पग पर निम्नलिखित निर्देश अंकित हैंः-

"Expenditure on existing Homes shall be strictly as per need and utilization of full capacity of Homes as per ICPS norms. Accordingly rationalization/ merger of Homes, wherever required, may be carried out."

2- वर्ष 2017-18 में (अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 तक) राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) एवं राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) में संवासियों के आवासित रहने का औसत कई सम्पे्रक्षण गृहों में बहुत अधिक एवं कई में बेहद कम है यथा-जनपद मिर्जापुर के सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) में वार्षिक औसत सबसे न्यूनतम 33 संवासियों का हैं तथा जनपद गोरखपुर के सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) में सर्वाधिक वार्षिक औसत 164 संवासियों का है। उक्त से स्पष्ट है कि राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) गोरखपुर में स्वीकृत क्षमता 50 के सापेक्ष प्रत्येक माह 150 से अधिक संवासी आवासित रहे हैं। इसी प्रकार राजकीय सम्पे्रक्षण गृह (किशोर), आगरा, मथुरा, हरदोई, बरेली, मुरादाबाद, वाराणसी, मऊ, बस्ती, इलाहाबाद, फैजाबाद आदि में पूरे वर्ष भर स्वीकृत क्षमता से अधिक संवासी आवासित रहे हैं।

3- जनपद बाराबंकी, मुरादाबाद, मिर्जापुर एवं गाजियाबाद में स्थित राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) में आवासित संवासिनियों की संख्या का वार्षिक औसत बाराबंकी में 17, मुरादाबाद में 04, मिर्जापुर में 10 एवं गाजियाबाद में 09 है।

4- राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) में स्वीकृत क्षमता से अधिक तथा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) में स्वीकृत क्षमता से कम संख्या में संवासिनियों के पूरे वर्ष भर आवासित रहने के कारण

तथा विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत जिन सम्प्रेक्षण गृहों में पूरे वर्ष भर स्वीकृत क्षमता से काफी कम संख्या में संवासी आवासित हैं एवं जिन सम्पे्रक्षण गृहों में स्वीकृत क्षमता से अधिक संख्या में संवासी आवासित हैं, को तर्कसंगत ढंग से सुव्यवस्थित किया जाना अति आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित स्थानों पर संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) को परिवर्तित करते हुए राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) के रूप में संचालित किया जायः-

(प) राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, मुरादाबाद, स्वीकृत क्षमता- 30

(पप) राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, मिर्जापुर, स्वीकृत क्षमता- 30

उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) मुरादाबाद एवं मिर्जापुर में आवासित किशोरियों को जनपद बाराबंकी एवं गाजियाबाद में संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) में स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6- राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) गोरखपुर, आगरा, मथुरा, हरदोई, बरेली, मुरादाबाद, वाराणसी, मऊ, बस्ती, इलाहाबाद, फैजाबाद या ऐसे अन्य राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, जिनमें संवासियों की संख्या स्वीकृत क्षमता से अधिक है, में से राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) मुरादाबाद में 30 संवासी एवं राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) मिर्जापुर में 30 संवासियों को स्थानान्तरित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 5/2018/1226(1)/60-1-2018 व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित संस्थाध्यक्ष- द्वारा जिला परिवीक्षा अधिकारी।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।